संदर्भ सं. राबैं.डॉर/एलटी पॉलिसी/ पीपीएस-9/ 66399/ 2025-26 30 जुलाई 2025

परिपत्र सं. 180/ डॉर - 43/2025

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) – 2025-26 के लिए परिचालन दिशानिर्देश

कृपया दिनांक 29 अक्टूबर 2024 के हमारे परिपत्र सं. 260/ डोर-86/ 2024 देखें जिसके माध्यम से वर्ष 2024-25 के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के तहत निवेश ऋण हेतु परिचालन दिशानिर्देश की सूचना दी गई थी. उसी समय से यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिचालित एनआरएलएम (संदर्भ सं. नाबार्ड, एमसीआईडी, प्रका का दिनांक 10 जुलाई 2025 का परिपत्र सं. 167 / डीएमएफआई-07/ 2025) के तहत ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋणों के समक्ष नाबार्ड उन्हें निम्नानुसार रियायती पुनर्वित्त प्रदान करेगा:

क्रम. सं.	पुनर्वित्त के नियम और शर्तें	क्षेत्र	पुनर्वित्त की दर
1	i. क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षेग्रा) बैंक और राज्य सहकारी (रास) बैंक सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रति वर्ष 7.00% की दर से प्रत्येक स्वयं सेवा समूह हेतु ₹3.00 लाख तक ऋण प्रदान करेंगे.	पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप) और हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) के अलावा सभी क्षेत्र.	4%
2	ii. क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षेग्रा) बैंक और राज्य सहकारी (रास) बैंक सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹3 लाख से अधिक और ₹5 लाख तक के ऋण उनके एक वर्षीय एमसीएलआर या किसी अन्य बेंचमार्क दर या 10% प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, की समान ब्याज दर पर प्रदान करेंगे.	पूर्वोत्तर के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप) और हिमालयी राज्य (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश).	3%

पुनर्वित्त विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: 022 2652 4926 • फ़ैक्स: 022 2653 0090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: 022 2652 4926 • Fax: 022 2653 0090 • E-mail: dor@nabard.org

2. पात्रता मानदंड, पुनर्वित्त की सीमा, स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा के साथ-साथ अन्य नियम और शर्तें भी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अपरिवर्तित रहेंगी.

3. पुनर्वित्त और उस पर उपचित ब्याज की चुकौती मंजूरी-पत्र में इंगित चुकौती अनुसूची के अनुसार की जाए. मूलधन और/अथवा ब्याज की चुकौती के भुगतान में चूक की स्थिति में, क्षेग्रा बैंक/ रास बैंक नाबार्ड को चूक की राशि पर 10.25% (अतिरिक्त लागू कर) प्रतिवर्ष की दर से दंडात्मक प्रभार का भुगतान उस अवधि तक करने के लिए उत्तरदायी होंगे जब तक चूक बनी रहती है.

4. योजना के तहत आहरण आवेदन का प्रारूप संलग्न है. इसे हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए.

5. योजना के तहत ब्याज सहायता के दावे तिमाही आधार पर विद्यमान निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएँ.

6. कृपया ध्यान दें कि योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋणों के समक्ष बैंकों को जारी किया गया रियायती पुनर्वित्त भारत सरकार के डीएवाई-एनआरएलएम योजना की ब्याज सहायता हेतु पात्र नहीं है.

7. कृपया आप विस्तृत ऋण परिसंपत्ति पूल नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें.

भवदीय

KANIYUR SUNDARARAJAN MAHESH

Signed by KANIYUR SUNDARARAJAN MAHESH
Date: 2025.07.30 20:30:07

(डॉ के एस महेश)

मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: यथोक्त

एआरएफ़ - प्रारूप - I अ

एनआरएलएम ब्याज सहायता योजना के तहत पुनर्वित्त मंजूर और जारी करने हेतु आहरण आवेदन

मुख्य महाप्रबंधक/
महाप्रबंधक/ प्रभारी अधिकारी
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय,

____

महोदय

एनआरएलएम ब्याज सहायता - महिला स्वयं सेवा समूहों को
दिए गए ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त को मंजूर और जारी करने हेतु आवेदन

हम यह सूचित करते हैं कि हमने जून/ सितंबर/ दिसंबर/ मार्च * _____ (वर्ष) को समाप्त तिमाही के दौरान.......... (...................................... .... रुपए) की राशि महिल स्वयं सेवा समूहों को/ गैर सरकारी संगठनों को स्वयं सेवा समूहों को आगे ऋण प्रदान करने हेतु मंजूर और संवितरित की है, जिसका विवरण संलग्न है. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसके समक्ष................ (.. .... रुपए) का पुनर्वित्त मंजूर और जारी करें.

2. हम यह प्रमाणित करते हैं कि उक्त पुनर्वित्त का दावा उस राशि के लिए किया जा रहा है, जो महिला स्वयं सेवा समूहों को ₹ 3.00 लाख तक ऋण प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष 7% की ब्याज दर पर / ₹3 लाख से अधिक और ₹5 लाख तक की राशि उनके एक वर्षीय एमसीएलआर या किसी अन्य बेंचमार्क दर या 10% प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, की समान ब्याज दर पर उधार दी गई है.

3. हम आधार स्तर पर वित्तपोषण और पुनर्वित्त हेतु समय-समय पर निर्धारित नाबार्ड के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं.

4. हम पुनर्वित्त को _____ अर्द्ध-वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए सहमत हैं, भले ही उधारकर्ता स्तर पर हमारे द्वारा तय की गई चुकौती की अवधि कुछ भी हो.

5. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उधारकर्ताओं को किए गए भुगतान इलेक्ट्रौनिक माध्यम से किए गए हैं सिवाय उन चेकों के, जिनके अदाकर्ता बैंक ईएफ़टी/आरटीजीएस मोड में नहीं हैं.

6. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आईएफ़एससी कोड सं __________, एमआईसीआर कोड सं. ___________ वाले ___________ बैंक की _________ शाखा में _______ खाता सं. के माध्यम से पुनर्वित्त जारी करें.

7. ऊपर दिए गए खाते में जमा संबंधी किसी भी गलती के मामले में, हम उसके लिए जिम्मेदार होंगे.

8. हम नाबार्ड को माँग के अनुसार राशि की चुकौती नाबार्ड के खाते में इलेक्ट्रौनिक माध्यम से करने का वचन देते हैं.

9. हम यह जानते हैं कि योजना के तहत महिला स्वयं सेवा समूहों को दिए जाने वाले ऋणों के समक्ष आहरित रियायती पुनर्वित्त, भारत सरकार की डीएवाई-एनआरएलएम योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता हेतु पात्र नहीं है.

भवदीय

प्राधिकृत अधिकारी
का हस्ताक्षर

संलग्न :

* जो भी लागू न हो उसे काट दें

NABARD

<u>**चुकौती अनुसूची**</u>

(राशि रुपए में)

उधारकर्ता द्वारा बैंक को (के दौरान प्राप्य चुकौती)		(बैंक द्वारा नाबार्ड को) (को देय चुकौती)	
दिनांक	राशि	दिनांक	राशि
01 जुलाई ……… से 31 दिसंबर ……. तक		31 जनवरी ………..	
01 जनवरी ……. से 30 जून …………… तक		31 जुलाई ………………	

Annexure to Drawal Application for Refinance under ARF for financing Women SHGs under GoI Programme

भारत सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सहायता समूह के वित्तपोषण के लिए स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत पुनर्वित्त के लिए निकासी आवेदन का अनुबंध

(दो प्रतियो मे प्रस्तुत किया जाए To be submitted in Duplicate)

बक का नाम और पता Name and Address of the Bank :

____________________माह क लिए आवेदित पुनर्वित्त का विवरण Details of Refinance applied for the months of ____________________

मीयादी ऋण TERM LOANS [राशि रुपये मे *Amount in Rs.*]

जिले का नाम और कोड Name of the District &Code	भौतिक इकाइयो/समूहो की संख्या जिनके संबंध मे पुनर्वित्त का दावा किया गया है Physical Units /Number of Groups in respect of which refinance is claimed		कुल सदस्यो की संख्या Total Number of members		शामिल गैर सरकारी संस्था का नाम, यदि कोई हो Name of NGO involved, if any	स्वयं सहायता समूहो द्वारा जुटाई गई बचत राशि Savings mobilised by SHGs	जारी किया गया बैंक ऋण Bank loan released	बकाया बैंक ऋण Bank loan outstanding	जिसमे से Of which							दावाकृत पुनर्वित्त Refinance Claimed	चुकौती (छमाही/ वार्षिक) Repayment (Half Yearly / Yearly)	समूहो की पुनरावृत्ति Repeat Groups		नाबार्ड के उपयोग के लिए For NABARD's use
	कुल Total	जिसमे से महिला समूहो की संख्या Of which women groups	कल Total	जिसमे से महिला समूहो की संख्या Of which women groups					एसएफ़/ एमएफ़ SF/ MF	पट्टेदार किसान/ खेतिहर मजदूर Tenant Farmers / Agricultural Labours	अ.जा./अ.ज.जा. SC/ST			महिला लाभार्थी Women Beneficiaries	अल्पसंख्यांक समुदाय Minority Community			संख्या No.	राशि Amount	संस्तुत पुनर्वित्त Refinance recommended
											अ.जा. SC	अ.ज.जा. ST	कल Total							
1	2(a)	2(b)	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8(a)	8(b)	8(c)	8(d)	8(e)	8(f)	8(g))	9	10	11(a)	11(b)	12

तिथि Date :

स्थान Place :

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Bank Official

बैंक कीमुहर Bank's Seal

सीधे स्वयं सहायता समूहो को अथवा गैर सरकारी संगठनो के माध्यम से स्वयं सहायता समूहो को अथवा सूक्ष्म वित्त संस्था के माध्यम से स्वयं सहायता समूहो को direct to SHGs or SHGs through NGOs or SHGs through MFIs

नाबाड क उपयोग क िलए
For NABARD's use

बक §ारा दावाकत कल रािश Total Amount as Claimed by the bank

जारी करन योग्य कल रािश Total Amount Eligible for release

Pमािणत िकया जाता ह िक बक वष______क िलए िनवश ऋण नीित परिपत्र म िनधािरत पात्रता मानदडो को परा करता ह. सवीक्षा/सिवतरण नोट म िववरण P™त िकया गया ह.

Certified that the bank conforms to the eligibility norms as laid down in the Investment credit policy circular for the year ____________________. Details are furnished in the scrutiny/ disbursement note.

7.________________की रािश मजर की गई Sanctioned a sum of Rs. ________ लाख lakh

रािश श ो म (________ मात्र)

Amount in words (________ Only)

तैयार किया Prepared by	जाँच की Checked by	(समPAGM /उमPDGM /मPGM /ममP CGM)

* Code for Direct lending without facilitation of mFI-7723; Directly with facilitation of mFI-7724, Indirectly to SHG through mFI - 7725, JLG – 7726